सं0— /उन्तीस(2)/06—2(63पे0)/2006

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून ।

पेयजल अनुभाग—2

देहरादूनः दिनांक 23 अक्टूबर, 2006

विषयः—नगरीय जलोत्सारण कार्यकम के अन्तर्गत बद्रीनाथ जलोत्सारण योजना के रखरखाव हेतु वर्ष 2006—07 में वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 3062/गंग प्रदूषण / दिनांक 22.08.2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2006—07 में नगरीय जलोत्साण कार्यकम के अन्तर्गत बद्रीनाथ जलोत्सारण योजना के वार्षिक रखरखाव के प्राक्कलन अनु0 लागत रू0 8.16 लाख पर टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रू0 7.70 लाख (रू0 सात लाख सत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष अनुदान के रूप में 3.85 लाख (रू0 तीन लाख पिच्चासी हजार मात्र) तथा ऋण के रूप में रू0 3.85 लाख (रू0 तीन लाख पिच्चासी हजार मात्र) अर्थात कुल रू0 7.70 लाख (रू0 सात लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :—

2— ऋण अंश के रूप में स्वीकृत धनराशि की वापसी एवं ब्याज अदायगी निम्न शर्तो एंव प्रतिबन्धों के अधीन होगीः—

(1) ऋण मद की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती हैं कि पूर्व में स्वीकृत ऋणों की अदायगी यदि अभी तक नहीं की गई हों तो ऐसी समरत धनराशि का समायोजन किये जाने के बाद ही शेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(2) यह ऋण 15(पन्द्रह) समान किश्तों में व ब्याज सहित प्रतिदेय होगा। इस ऋण का प्रतिदान ऋण आहरण की तिथि से एक वर्ष बाद प्रारम्भ होगा। उक्त ऋण पर अन्तिम रूप से 15 (पन्द्रह) प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा, किन्तु निगम द्वारा समय—समय पर ऋण का प्रतिदान/ब्याज का भुगतान करने की दशा में 3—1/2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, यदि कालातीत न हों अर्थात अन्तिम प्रभावी ब्याज की दर 11—1/2 (साढे ग्यारह) प्रतिशत होगी। ऋण/ब्याज का भुगतान प्रतिदान करने के बाद एक

कमश..2

7– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, डी0जी0,एस0 एण्ड डी0, टैंडर और अन्य सागरत वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा ।

8– व्यय उन्ही मदो/योजनाओं पर किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है ।

9–कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्वता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें । यदि एक मद/योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय दूसरी योजनाओं पर किया जाना पाया जाता हैं तो इस हेतु विभागाध्यक्ष का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

10–स्वीकृत की जा रही धनराशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष के समाप्ति से पूर्व तक पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायेगा और उपयोग के उपरान्त अविलम्ब इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा तथा शेष कार्यो हेतु धन प्राप्त कर इस प्रकार पूरा किया जायेगा कि लागत मे वृद्वि न होने पाये ।

11– यदि यह धनराशि आहरित करके अपने बैंक खाते मे रखी जायेगी तो इस धनराशि पर समय समय पर अर्जित ब्याज को वित्त विभाग के दिशा निर्देशानुसार राजकोष मे जमा कर दिया जायेगा ।

12–जी0पी0डब्लू0 फार्म–9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई का कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

13–मुख्य सचिव, उत्तरांचल के शासनादेश संख्या 2047 XIV–219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कडाई से पालन किया जाय

12–उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में आय–व्ययक के अनुदान सं0–13 के अन्तर्गत अनुदान की धनराशि लेखाशीर्षक" 2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–101–शहरीजलापूर्ति कार्यक्रम–05 – नगरीय पेयजल–01–नगरीय पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए अनुदान–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता" के नामे तथा ऋण की धनराशि लेखाशीर्षक– "6215 –जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज–02 मल–जल तथा सफाई– आयोजनागत– 800– अन्य कर्ज– 04– पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए ऋण–00–30–निवेश /ऋण" के नामे डाला जायेगा ।

13– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0– 74/XXVII–2/2006 दिनांक 13अक्टूबर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

बार भी विलिथ होनें पर ब्याज की दर में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

(3) ऋणी/संस्था/समिति/कारपोरेशन/स्थानीय निकाय आदि प्रत्येक दशा में ऋण के आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकीय) कार्यालय महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उत्तरांचल को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक सूचित करते हुए भेजें।

(4) ऋणी/संस्था/संस्थान जब भी ब्याज जमा करें महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रारूप पर अवश्य भेजें –

(1) कोषागार का नाम
(2) चालान संख्या व दिनांक
(3) जमा धनराशि।
(4) लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत जमा किया गया किश्त ब्याज
(5) शासनादेश संख्या एवं एस0एल0आर0 का संदर्भ किश्त ब्याज
(6) पिछले जमा का सन्दर्भ।

(5) ऋणी संस्था आहरण के प्रत्येक वर्षगाठ पर अपने लेखों का निदान महालेखाकार के लेखों से अवश्य करें। भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जा सकेगा जब यह सुनिश्चित हो जाये कि ऋणी संस्था में इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया हैं तथा प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति यथा समय शासन को अवश्य उपलब्ध करा दें।

3– स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो पर उत्तर प्रदेश शासन वित्त लेखा अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–ए–2–87(1)/दस–97–17 (4)/75 दिनांक 27.02.1997 के अनुसार सेन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यो की कुल लागत के सापेक्ष कुल सेन्टेज चोर्जेज 12.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यदि योजना में इससे अधिक सेन्टेज व्यय होना पाया जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्ध निदेशक, का होगा ।

4– अनुदान की धनराशि का व्यय ऋण राशि के साथ ही किया जायेगा

5– प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार, देहरादून में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में धनराशि केवल आवश्यकतानुसार ही किस्तों में आहरित की जायेगी।

6– उपरोक्त योजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के दिनांक 31.03.07 तक पूर्ण उपयोग कर तथा वित्तीय/भौतिक प्रगति एंव उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन में प्राप्त होने के उपरान्त ही अगली किस्त अवमुक्त की जायेगी।

क्रमश..3

सं0–2361/उन्तीस(2)/06–2(63पे0)/2006,तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
2–आयुक्त गढ़वाल मण्डल ।
3–जिलाधिकारी, देहरादून/चमोली।
4–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5–मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान देहरादून।
6–वित्त अनुभाग–2/वित्त(बजट सैल)/राज्य योजना आयोग/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल।
7–निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
8–स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
8–श्री एल0 एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त बजट अनुभाग ।
9–निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून ।
10–निदेशक, एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर,देहरादून।
11–गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव

23006011